न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2090/2005/भरतपुर.

1– तुल्लाराम,
2– गोरधन (फौत) पिसरान सुक्कल।
3– बंगाली,
4– महेश पिसरान सुखा।
5– प्रेमदेवी पत्नि स्व0 सुखा
समस्त जाति लोधा निवासीगण वावैन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– देवीसिंह पुत्र गिर्राजसिंह,
2– रहुवासिंह पुत्र गिर्राजसिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–
2/1. सुखाराम
2/2. विश्राम
2/3. सतीश पिसरान स्व0 रहुवासिह
2/4. हरप्यारी पुत्री स्व0 रहुवासिंह
2/5. नीरज पुत्री स्व0 रहुवासिंह नाबालिग जरिये वली माता रामो
2/6. रामो पत्नि स्व0 रहुवासिंह
3– फूलवती बेवा हरज्ञानसिंह जाति गूजर निवासी शैह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
4– टीकम पुत्र रतना गुर्जर (मृतक) जरिये वारिसान :–
4/1. मुन्शी,
4/2. मुकुट पिसरान स्व0 टीकम
4/3. समला पुत्री स्व0 टीकम
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम हेक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितिः
श्रीमुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री जे.के. पारीक, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 03/7/2025.

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 277/2002, उनवान तुल्लाराम वगैरह बनाम देवीसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–4–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/प्रत्यर्थी सं0–1 से 3 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 तथा 19(1)AA राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम शैह तहसील कुम्हेर स्थित आराजी खसरा 308 मिन रकबा 02 बीघा, 312 मिन रकबा 06 बीघा जिसके हाल बंदोबस्ती खसरा नंबर 289 मिन रकबा 0.55 एयर, 0.32 एयर व खसरा संख्या 307 रकबा 0.63 एयर से 0.31 एयर व खसरा संख्या 335 रकबा 0.66 एयर वादीगण बक्शी रघुनाथसिंह की खातेदारी के थे। बक्शी रघुनाथसिंह ने प्रत्यर्थी/वादीगण के पिता गिर्राजसिंह को संवत् 2012 में सदैव को काश्त पर बता दिया था और राजस्व रेकार्ड में तहसील में रजामन्दी कर शिकमी काश्तकार के इंद्राज करा दिये। बक्शी रघुनाथ सिंह के फौत होने के बाद खातेदारी इंद्राज विरासत के आधार पर उसकी पत्नि भगवान कौर के नाम अंकित हो गई, परन्तु शिकमी के इंद्राज वादीगण के पिता गिर्राज के नाम चलते रहे व कब्जा काश्त भी वादीगण के पिता गिर्राज का ही रहा तथा गिर्राज के फौत होने के बाद वादीगण ही बिना रोक टोक के विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। बंदोबस्त विभाग ने शिकमी के इन्द्राज को बिना किसी समक्ष आदेश के कलमजन कर दिया। इसकी जानकारी होने पर वादीगण द्वारा यह वादपत्र पेश कर एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित भूमि की उनके पक्ष में खातेदारी घोषित किये जाने तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राजात को दुरूस्त किया जाने का अनुतोष चाहा।

विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 ने कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी

संख्या 2 से 6 ने अपना जवाब पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को गलत ठहराते हुए अभिकथन किया कि वादीगण विवादित भूमि पर कभी भी शिकमी काश्तकार दर्ज नहीं रहे। विवादित भूमि पर बंदोबस्त से पहले से ही प्रतिवादी संख्या–2 से 6 राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज रहे है। साबिक खसरा संख्या 308 2 बीघा व 312 रकबा 6 बीघा का खातेदार रघुनाथ सिंह के पिता थे। खसरा संख्या 312 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता सुक्कन व उसके भाई बदन, हीर ने एवं खसरा संख्या 308 को प्रतिवादी संख्या–4 से 6 के पिता सूखा ने रघुनाथ के पिता से लिया, तब संवत् 2012 में रघुनाथ व श्रीमति भगवान कौर खातेदार ही नहीं थे तो उन्हें वादी संख्या 1 व 2 के पिता गिर्राजसिंह को बताने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण ने संवत् 2012 की जमाबंदी पेश नहीं की है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है, जिस पर वादीगण का कोई संबंध व सरोकार कभी नहीं रहा है। अतएव प्रस्तुत वादपत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाये।

योग्य विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर प्रकरण में कुल 08 विवाद्यक विरचित किये, जिन पर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर उभय पक्षों की अंतिम बहस सुनकर निर्णय दिनांक 10–09–2002 के द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2002 से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–4–2005 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

यह कि उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रीयों से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रत्यर्थी वादीगण को अपने वाद पत्र को स्वयं सिद्ध करना था, परन्तु प्रत्यर्थी ने अभिवचनों के अनुसार यह साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया कि भगवान कौर एवं बक्शी रघुनाथ सिंह

ने गलत खसरा नंबर 308 रकबा 2 बीघा तथा 312 रकबा 06 बीघा को प्रत्यर्थी के पिता गिर्राज को संवत 2012 से पूर्व ही सदैव के लिए काश्त पर दे दी थी तथा रजामन्दी से तहसील में शिकमी काश्तकार के इन्द्राज करा दिये। इसे सिद्ध करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा संवत 2012 या उससे पूर्व की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है, न काई कान्ट्रैक्ट ऑफ रेन्ट की रसीदें पेश की है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (41) के तहत प्रत्यर्थी वादीगण को शिकमी नहीं माना जा सकता। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1988 पेज 420 के अनुसार टीनेन्ट एवं शिकमी के सम्बन्धों को स्थापित करने के लिए रेन्ट पेमेन्ट का कॉन्ट्रेक्ट होना आवश्यक है। यही सिद्धान्त आर.आर.डी. 1999 पेज 427 में प्रतिपादित किया गया है। वादीगण प्रत्यर्थी अपना वाद धारा 19(1) आर.टी.एक्ट. व एडवर्स पजेशन के आधार पर लेकर आये है और उसी अनुसार खातेदारी चाही है, जबकि दोनों आधार एक ही वाद में नहीं लिये जा सकते। इस तरह के वाद में संवत् 2012 की जमाबंदी होना आवश्यक है। वादीगण प्रत्यर्थी को धारा 19(1) आर.टी.एक्ट के तहत् खातेदारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 31-12-69 यानि संवत 2026 की जमाबंदी पेश करना आवश्यक था। उक्त जमाबंदी आधारभूत दस्तावेज है जिसमें शिकमी दर्ज होना आवश्यक है, किन्तु वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर पेश नहीं किया है। विवादित आराजी पर प्रत्यर्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रत्यर्थी ने मौखिक बयानों में वादग्रस्त आराजियात को रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद करना बताया है जबकि प्लीडिंग इस प्रकार की नहीं की गई है एवं न कोई दस्तावेज है इसलिए विरोधाभास की स्थिति में दावा चलने योग्य नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रत्यर्थी के पिता गिर्राज ने अपने जीवनकाल में बक्शी रघुनाथ सिंह व भगवान कौर के विरूद्ध दावा या अन्य कोई कार्यवाहीं नहीं की तो अब टीकम को पक्षकार बनाकर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि टीकम, भगवान कौर या रघुनाथसिंह का भतीजा नहीं है और यह तथ्य उसने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर दिये थे, जिन्हें बिना जांच किये सरसरी तौर पर उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए वादीगण का वाद डिक्री कर दिया तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील को भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। अंत

में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकरदोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने कथन किया कि विवादित आराजी दोनों पक्षों की खातेदारी की रही है। उनके द्वारा दोनों पक्षों की जमाबंदिया पेश की गई है। विवादित आराजी बाबत् भगवान कौर के पक्ष में नामांतकरण स्वीकृत किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में टीकम को भगवान कौर का भतीजा होने से इन्कार नहीं किया है। प्रतिवादी को पुराने रकबा से अधिक भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। संवत 2025 में भी शिकमी साल 16 अंकित है। वादीगण को धारा 15 एवं 19 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत विधिनुसार खातेदारी प्राप्त हुई है। विवादित आराजी को केवल प्रतिवादी के नाम खातेदारी में अंकित करने में भू–प्रबंध विभाग ने विधिक त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण के पिता गिर्राज का रहा है। प्रतिवादी सं0–1 टीकम, बक्शी रघुनाथ सिंह का भतीजा है जिसने न्यायालय के समक्ष दिनांक 31–8–99 को राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी भगवान कौर की होना मानते हुए इस पर कब्जा वादीगण का होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने वादीगण के नाम शिकमी काश्त को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के कलमजन कर दिया है जबकि भू–प्रबंध विभाग को इस तरह की प्रविष्टि को कलमजन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा केवल पुरानी प्रविष्टियों को ही भू–प्रबंध कार्यवाही के अन्तर्गत दोहराना होता है, न कि किन्हीं प्रविष्टियों को कलमजन करना या नये सिरे से जोड़ना। विचारण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों कीविवाद्यक वार विवेचना करते हुए प्रत्यर्थी वादीगण का वाद डिक्री किया है तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पुष्टि अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में स्पष्टतः की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित किये है जिनमें इस द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अंत में हस्तगत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाने का निवेदन करते हुए अपने उक्त कथनों के समर्थन में 2016 आरबीजे 303 व 2024 (1) आरआरटी 463 की नजीरे पेश की गई।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत व संबंधित विधि का भी अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

6– हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दु विचारणीय है :–

''आया योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2002 पारित करने में एवं योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28–04–2005 से योग्य विचारण द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2002 की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है ?''

7– उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में स्थिति को देखे तो प्रत्यर्थी वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख संवत् 2012 से पूर्व ही उनके पिता स्व. गिर्राज के उपकृषक होकर शिकमी काश्तकार के इन्द्राज होने एवं कई वर्षों से विवादित भूमि खसरा संख्या साबिक 308 मिन रकबा 2 बीघा व 312 रकबा 6 बीघा जिनके नये नं. 289/055 से 32/55 व 307/63 व 335/66 पर काबिज काश्त होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–19(1)AA एवं एडवर्स पजेशन के तहत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया गया है। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में राजीनामा प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2033–36 की प्रति प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत् 2055–58 की प्रति प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत् 2017–20 की प्रति प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत् 2022–25 प्रदर्श–7, खसरा गिरदावरी संवत् 2017–20 प्रदर्श–8, खसरा गिरदावरी संवत् 2014–17 प्रदर्श–9 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये तथा मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 रहुआ, पी.ड. 2 मंगतू व पी.ड. 3 बालू की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई। इनके खण्डन में प्रतिवादी पक्ष द्वारा जमाबंदी संवत् 2003 की प्रति प्रदर्श डी–1, जमाबंदी संवत् 2009 प्रदर्श डी–2, जमाबंदी संवत् 2009 प्रदर्श डी–3, जमाबंदी संवत् 2017–20 प्रदर्श डी–4, जमाबंदी संवत् 2017–20 प्रदर्श डी–5, जमाबंदी संवत् 2022–25 प्रदर्श डी–6 प्रदर्शित करवाई गई एवं मौखिक साक्ष्य में गवाह

डी.ड. 1 श्री बंगाली व डी.ड. 2 तुल्लाराम की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई।

8– पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श पी–3 जमाबंदी संवत् 2017–20 में खसरा संख्या 308 मिन रकबा 2 बीघा व 312 मिन रकबा 6 बीघा मु0 भगवान कौर बेवा बख्शी रघुनाथ सिंह गैर खातेदार दर्ज है तथा प्रदर्श पी–7 जमाबंदी संवत् 2022–25 के अनुसार उक्त भूमि मु0 भगवान कौर बेवा बख्शी रघुनाथसिंह गैर खातेदार के काश्त गिर्राज पुत्र जोरावर शिकमी दर्ज होना एवं इसी प्रकार प्रदर्श पी–2 जमाबंदी संवत् 2033–36 में गिर्राज वल्द जोरावर शिकमीसाल 16 दर्ज होना प्रकट होता है, जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी–1 जमाबंदी संवत् 2009–12 के अनुसार गत खसरा संख्या 307, 309 व 313 कुल रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा भूमि नानगा वल्द रामबक्श सहित अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज है। प्रदर्श डी–3 जमाबंदी संवत् 2017–20 व प्रदर्श डी–6 जमाबंदी संवत् 2022–25 के अनुसार गत खसरा संख्या 313 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा नानगा पुत्र रामबक्श सहित अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज है। प्रदर्श पी–3 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 307 मिन व 308 मिन रकबा 3 बीघा के नये नंबर 288 रकबा 0.40, 308 मिन रकबा 3 बीघा के नये नंबर 289 रकबा 0.44 एवं गत खसरा संख्या 309 व 312 के नये नंबर 307 रकबा 0.63 व गत खसरा संख्या 312 मिन व 313 मिन के नये नंबर 335 रकबा 0.66 बने है। प्रदर्श पी–4 जमाबंदी संवत् 2055–58 के अनुसार खसरा संख्या 307 रकबा 0.63 व खसरा सं. 335 रकबा 0.66 व खसरा संख्या 289 रकबा 0.55 प्रतिवादीगण सहित अन्य खातेदारों के नाम अलग–अलग खातों में दर्ज चले आते है।

9– इस प्रकार उक्त समस्त राजस्व अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श पी–3 व पी–7 के अनुसार विवादित खसरा संख्या 308 का रकबा 2 बीघा व 312 का रकबा 6 बीघा वर्णित है, किन्तु मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–3 के अनुसार खसरा संख्या 308 का रकबा 3 बीघा अंकित है जिससे नया खसरा संख्या 289 रकबा 0.55 बना एवं पुराने खसरा संख्या 312 रकबा 6 बीघा व 309 मिन रकबा 3 बीघा से नया खसरा संख्या 307 रकबा 0.63 व गत खसरा संख्या 312 मिन व

313 मिन से नया खसरा 335 रकबा 0.66 बना है। अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आराजी उनके पूर्वजों की आराजी है। अपीलार्थी तुल्लाराम व गोरधनसिंह के पिता सुक्कन थे और सुक्कन के पिता नानगा थे तथा प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा इसके समर्थन में प्रस्तुत साबिक राजस्व अभिलेखों से अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि भी होती है, किन्तु योग्य विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में कोई निष्कर्ष ही अंकित नहीं किये गये है, जबकि प्रदर्श डी–1 जमाबंदी संवत् 2009–2012, प्रदर्श डी–5 व प्रदर्श डी–6 में नानगा पुत्र रामबक्श का नाम स्पष्ट तौर पर अंकित है। उभय पक्षों के मध्य विवादित खसरा भूमियों के बंदोबस्त के दौरान हुए इन्द्राजात को लेकर विवाद है तथा मिलान क्षेत्रफल से भी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज साबिक खसरा से बने नवीन खसरों के रकबा को लेकर भी स्थिति साफ तौर पर प्रकट नहीं होती है। हमारे विनम्र मत में योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने आक्षेपित निर्णयों के माध्यम से उक्त तथ्यों को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में सही तौर पर विवेचित नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा भगवान कौर के कोई संतान नहीं होना तथा प्रतिवादी संख्या–1 टीकम को स्व. भगवान कौर का सगा भतीजा होने के नाते इनका एकमात्र वारिस होना अभिकथित किया है। योग्य विचारण न्यायालय ने स्व. भगवान कौर के विधिक वारिसान के संबंध में कोई जांच दौराने विचारण नहीं की है, जिससे उक्त स्थिति सुस्पष्ट नहीं होती है कि प्रतिवादी संख्या–1 टीकम, स्व. भगवान कौर का एकमात्र विधिक वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या–1 टीकम को विवादित भूमि के संबंध में राजीनामा प्रदर्श पी–1 करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त हो। उल्लेखनीय है कि राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या–1 टीकम के नाम दर्ज होना प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा वाद के संबंध में अन्य आक्षेप यह भी उठाये गये है कि वादीगण द्वारा संवत् 2012 की जमाबंदी पेश नहीं की गई है तथा वादीगण को धारा–19(1) एए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 31–12–69 यानि संवत् 2026 की जमाबंदी में शिकमी दर्ज होना आवश्यक है तथा प्रत्यर्थी वादीगण धारा–5(41) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् शिकमी नहीं माने जा सकते। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थीगण द्वारा उठाये गये उपरोक्त

समस्त कानूनी बिन्दु हस्तगत प्रकरण के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु काफी महत्वपूर्ण है। यह सही है कि प्रत्यर्थी वादीगण ने अपने वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2012 की प्रति पेश नहीं की है, जिसके अभाव में यह सुस्पष्ट नहीं होता है कि वादीगण के पिता स्व. गिर्राज सिंह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय विवादित भूमि पर उपकृषक दर्ज रहे हो। हालांकि वादीगण द्वारा धारा–19(1) एए के समर्थन में प्रदर्श पी–2 व पी–7 पेश किये गये है, जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने वादीगण को संवत् 2014 से शिकमी दर्ज होना मानते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण के पक्ष में वाद डिक्री किया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी वादीगण के पिता का संवत् 2014 से शिकमी अंकित होना एवं लम्बे कब्जे के आधार पर उसका एडवर्स पजेशन होना मानते हुए प्रथम अपील को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। चूंकि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समान निष्कर्षों पर आधारित होकर समवर्ती निर्णय पारित किये गये है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रत्यक्षतः नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किये गये है। इस खण्ड पीठ के विनम्र मत में जब समवर्ती निर्णयों में विधि की घोर अवहेलना व अन्याय होना प्रकट होता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील के माध्यम से समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए इनके संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं कर सरसरी तौर पर वादीगण का वाद डिक्री किया है, जबकि अपीलार्थी प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिकथनों के संबंध में आवश्यक मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है। ऐसी स्थिति में योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2002 पारित करने में एवं योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28–04–2005 से योग्य विचारण द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2002

की पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाकर प्रकरण पुनः योग्य विचारण न्यायालयों को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

10– परिणामतः अपीलार्थीगण की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2002 एवं योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–04–2005 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण पुनः योग्य विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के पैरा संख्या–7 लगायत 9 के संबंध में उभय पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में प्रकरण के गुणावगुण पर विवाद्यक वार अपना निर्णय पारित करें।

उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक /07/2025 को विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर के समक्ष उपस्थित हो।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक /07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष